दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना का.आ. 4587(ई) दिनांक 21.12.2019 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की और इस सूचना को प्लॉट नं. 1 से 7 (ज़ोन-डी) तथा प्लॉट नं. 8 (ज़ोन-सी) के भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में जनता से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र में भी प्रकाशित किया।

प्रक्रिया के अनुसार, 30 दिन की निर्धारित समयावधि, अर्थात् 19.01.2020 तक प्राप्त किए गए सभी आपत्तियों/सुझावों को पूछताछ एवं सुनवाई बोर्ड (बीओईएच) के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड की सुनवाई का आयोजन दि.वि.प्रा. कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, बी-ब्लॉक, भूतल, विकास सदन, आई.एन.ए. में 06.02.2020 (वीरवार) एवं 07.02.2020 (शुक्रवार) को प्रातः 10.30 को किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जिन्होंने आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया हो और वह बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपना मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता हो, वह प्रस्तावित अनुसूची, जो दिनांक 05.02.2020 (दोपहर 12 बजे) से दि.वि.प्रा. की वेबसाइट, अर्थात् www.dda.org.in (शीर्ष हॉटलिंक्स/सार्वजनिक सूचना) पर उपलब्ध होगी, के अनुसार अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 06.02.2020 एवं 07.02.2020 को ऊपर उल्लिखित स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। संबंधित व्यक्तियों को उनकी प्रस्तुतियों में दिए गए विवरण के अनुसार ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति/सुझाव दिया हो, परन्तु उसका नाम अनुसूची में नहीं है या उसे कोई ई-मेल/एस.एम.एस. प्राप्त नहीं होता, तो वह उक्त वर्णित तिथि अर्थात् दिनांक 07.02.2020 (शुक्रवार) को दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक बोर्ड के समक्ष अपनी मौखिक प्रस्तुति दे सकते हैं। सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे वैध पहचान प्रमाण साथ ले कर आएं।

कृपया Google play के DDA ऐप्स पर अपना फीडबैक दें।

डीडीए की वेबसाइट : www.dda.org.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें